| CERTIFICATE OF WORKING SPOUSE | |
|---|---|
| This is to certify that Sh. / Smt. / Ms | (permanent / employee of this ng) till date, which is a |
| Name | Competent Authority |
| Official Seal | |

Date of Issue

Note:

Ref. No.

- 1. It is to be noted that the said format of the certificate be neatly typed on official letter head of the organization and must contain the reference / dispatch no. of the office as well as the date of issue of the certificate so that the veracity of the certificate could be verified from the issuing authority / office.
- 2. It is also to be noted that the certificate issued before the cut-off date (01.01.2018) will not be considered bona-fide for claiming priority of spouse ground.
- 3. Certificate with false information or in improper format will summarily be rejected and bound to attract disciplinary / administrative proceedings.
- 4. It is to be noted that as per provisions, employees of NVS, having working spouse as a permanent employee, only in Central Govt / Central Govt PSU / State Govt. / State Govt. PSU are eligible for benefit of transfer on priority of spouse unification. JNV employee, having working spouse in PRIVATE organization / department / office, is not entitled for priority of spouse ground. Therefore, the issuing authority must provide correct information in every respect.

| सन्दर्भ: | दिनाक: |
|--|---|
| कार्यरत दम्पति प्रमाण | <u>पत्र</u> |
| प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री | |
| पुत्र / पुत्री / पत्नी | . इस कार्यालय / संस्थान |
| (| (संस्थान का नाम) में |
| (स्थाई / अस्थायी / संवि | दा / नियोजित / दैनिक |
| वेतनभोगी) कर्मचारी / अधिकारी के रूप में दिनांक | से आज |
| तक कार्यरत हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह | ह कार्यालय / संस्थान एक |
| (केंद्रीयकृत / केंद्रीय पी एर | न यू / राजकीय / राजकीय |
| पी एस यू) संस्थान है। | · |
| | |
| स | क्षम अधिकारी का हस्ताक्षर |
| ना | म: |
| पट | r. 1. |
| | अधिकारिक सील / मुहर |
| महत्वपूर्ण: | 3. |
| १. उक्त प्रमाण पत्र कार्यालय/संस्थान के अधिकारिक लेटर हेड पर साप | 5 साफ टंकित/मुद्रित होना चाहिए । |
| साथ ही कार्यालय का सन्दर्भ/प्रेषण संख्या एवं जारी करने का दिनांव | म अंकित होना चाहिए ताकि निर्गत |
| किए गए प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता का सत्यापन जारीकर्ता कार्याल | य से किया जा सके । |
| २. उक्त प्रमाण पत्र स्थानांतरण अभियान की पात्रता के कट-ऑफ की | तारीख (01.01.2018) के बाद की |
| तिथि का जारी किया होना चाहिए । | |

8. विदित हो कि प्रावधान के अनुसार नवीस कर्मचारी दंपित एकीकरण हेतु प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र हैं यदि और केवल यदि उनके कार्यरत दंपित भारत सरकार / भारत सरकार के पी एस यू / राज्य सरकार / राज्य सरकार के पी एस यू में स्थाई कर्मचारी / अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं । नवीस कर्मचारी / अधिकारी, जिनके दंपित निजी (PRIVATE) संस्था / विभाग / कार्यालय में कार्यरत हैं, दंपित एकीकरण हेतु प्राथमिकता के पात्र नहीं हैं । अतः प्रमाण पत्र जारीकर्ता अपने कर्मचारी / अधिकारी एवं संस्था से सम्बंधित सही सूचना प्रमाण पत्र में दर्ज करें ।

3. प्रमाण पत्र में गलत सूचना होने अथवा गलत प्रारूप में होने की दशा में इसे रद्द किया जा सकता है

तथा आवेदक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।